UPBJ010057502026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP.1997

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2185/2026

नरेश व अन्य बनाम सरकार

दिनांकः–10–07–2026 **आदेश**

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण **नरेश, सुरेश, राजेश, राकेश** पुत्रगण रामकिशन, **संजीव उर्फ गुडडू** पुत्र रामपाल, **ऊषा** पत्नी चरन, **यशोदा** पत्नी रामकिशन व **जग्गी उर्फ जगदीश** पुत्र रामपाल निवासीगण मौहल्ला सराय रफी कस्बा व थाना चान्दपुर जिला बिजनौर की ओर से परिवाद सं0–8116/2025, धारा 333,115(2),352,351(2) बी0एन0एस0 थाना चान्दपुर जिला बिजनौर के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मामले में रंजिश की बिनाह पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं, प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। परिवाद उपरोक्त में 09 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है जिसमें चरन की मृत्यु हो चुकी है। परिवादिनी व उसके जेठ जबर सिंह के परिवार वालों ने जबरदस्ती रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा था और प्रार्थीगण को रास्ते में निकलने में अवरोध पैदा करने लगे, जिसकी शिकायत जनसुनवायी केन्द्र पर की गयी जिसके उपरान्त अवैध कब्जे को सड़क से हटवा दिया गया और मारपीट करने पर उतारू रहते थे तथा शिकायत को लेकर दुश्मनी रख्ते थे और बदला लेने की धमकी देते थे। दिनॉक 22–12–2024 को सुबह परिवादी के जेठ जबर सिंह व नितिन कुमार ने यशोदा के पुत्र नरेश कुमार को जबरदस्ती उठाकर जान से मारने की नियत से घर ले गये तो नरेश को बचाने विपक्षी सं0 2 सुरेश कुमार, राजेश, राकेश बहन सलोनी, मोनिका और यशोदा गयी तो इनके साथ भी परिवादिनी एवं उसके परिवार वालों ने चाकू, फावड़ा, सरिया आदि से मारपीट की जिसमें आरोपीगण के गम्भीर चोटे आयी और जिसकी एफ0आई0आर0 नं0 710/ 2024 थाना चान्दपुर दर्ज है। इससे पूर्व भी सुरेश कुमार ने परिवादिनी के परिवार वालों जबरसिंह, भूपेन्द्र सिंह व शीशपाल, शेर सिंह, नितिन कुमार, शिवम के विरूद्ध एफ0आई0आर0 नं0 706/ 2024 दिनॉक 21–02–2024 को दर्ज रायी थी, जिसमें उषा, यशोदा व सुरेश के गम्भीर चोटे आयी है। परिवादिनी व उसके परिवार वालों ने सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे को बनाये रखने के लिये आरोपीगण के विरूद्ध यह झूंठा परिवार दायर किया है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचाराणीय है। अतः प्रार्थीगण द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

तलवी आदेश के अनुसार, परिवादिनी दिनॉक 17–12–2024 को समय करीब रात्रि 08:30 बजे अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी रास्ते की रंजिश को लेकर मुल्जिमान परिवादिनी के घर में जबरदस्ती घुंस आये और मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देने लगे। परिवादिनी ने गाली देने से मना किया तो इन लोगों ने परिवादिनी के घर तोड़फोड़ की और जान से मारने की नियत से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.10 16:02:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस प्रकार अभियुक्तगण पर परिवादिनी के घर में घुंसकर मारपीट करना व गाली गलौच करके जान से मारने की धमकी देना बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण परिवाद पर आधारित है। कथित अपराध सात साल तक की सजा से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सैन्ट्रल ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को **पच्चीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1. अभियुक्तगण आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेगे।
2. अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगे।
3. अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।
4. अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि को, साक्षीगण की उपस्थिति की दिनांक को एवं धारा–313 दं0प्र0सं0/धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगे और अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे।

यदि आवेदकगण–अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता है एवं नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने में व्यतिक्रम करता है, तो सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त को दी गयी अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(संजय कुमार VII)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।
10–07–2026